HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर दिनाँक-05.12.2022

प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त को अधिकतम 10 वर्ष के कठोर करावास व 13,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी साथ ही पीड़िता पक्ष को 50,000 रुपये मुआवजा के रूप में देना का आदेश पारित।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनाँक 20/04/2017 को थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 129/17 धारा- 304B, 498A IPC व 3/4 DP Act. में नामजद अभियुक्त संजय निषाद पुत्र दुब्बी निषाद निवासी भरुआ सुमेरपुर थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास व 13,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी साथ ही 50,000/- की धनराशि पीड़िता पक्ष को मुआवजे के रुप में देने का आदेश पारित किया गया।